Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम ....बयाना..............................

श्रीधर आदि .... बनाम ....दीवान वगैराह ....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं.............................. सन 02/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
08.01.2025	प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण मूल के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम कपूरा मलूका में वादीगण/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग-उपभोग में रुकावट नहीं डालें। किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थी को एकपक्षीय सुना। बहस पर मनन किया. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्रार्थीगण के विरुध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 26.03.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम कपूरा मलूका तहसील बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य वंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश वावत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलवी हेतु तलवाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 26.03.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.	

263/25 [handwritten note, largely illegible] ... दि. 8/1/25 ... (हस्ताक्षर)

8/7/25 — वकीलान उप० । जवाब को किराया हेतु अवसर चाहा है। प्रकरण दिनांक 8/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

11/10/25 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/11/25 को पेश हो। | प्रवाचक 30/9/25 का अवकाश होने पर आज पेश हुआ।

(हस्ताक्षर)
रीडर
ओ/एस.डी.एम.

11/11/25 वकीलान उप० । जवाब प्रा.पत्र हेतु अब अन्तिम अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण 07/01/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

07/01/26 प्रकरण आज पेश हुआ। उभयपक्ष वादी उपस्थित। प्रकरण में जवाबदावा बार-बार मौके दिये जाने उपरान्त पेश नहीं किया गया। जवाबदावा बन्द किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत बहस उभयपक्षीन सुनी गई। बहस उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में साबित होता है। विवाद की स्थिति हो सकती है।

अतः न्यायालय हाजा से जारी अंतरिम आदेश दिनांक 08/01/2025 को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)